

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 105/2022

प्रार्थीगण :-

1. हिमताराम पुत्र गुलाबाराज
जाति कुम्हार निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. कृष्णकुमार पुत्र मांगीदेवी
2. मफराराम पुत्र मांगीदेवी
3. राणाराम पुत्र मांगीदेवी जाति कुम्हार
4. दाना पुत्रलाखा
5. मांगा पुत्र राजा जाति रबारी
6. पीराराम पुत्र वेला
7. लाधा पुत्र रामा
8. वरजोगां पुत्र उका
9. सोना पुत्र होती
10. हरदाराम पुत्र वेला
11. काना पुत्र रूपा
12. गंगा पत्नी मोडा
13. पूनमाराम पुत्र अनाराम
14. पारुदेवी पत्नी अनाराम
15. बाबू पुत्र मोडा
16. भगवानाराम पुत्र अणदाराम
17. मगा पुत्र भूरा
18. मूली पत्नी रूपा
19. मोहन पुत्र रूपा
20. श्रवण पुत्र अनाराम
21. हिन्दू पुत्र मोडा
22. हीरा पुत्र रणछोडा जाति कलबी निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी
23. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण - एकतरफा

--: आदेश :-

दिनांक :- 23.08.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।



हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत: 2074-2077 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से

अधिकारी
गुड़ामालानी

स्थायी सरहद मौजा डेडावास का गोलिया के खेत खसरा नम्बर 225, 226/2 रकबा कमशः 2.6952, 1.4569 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की गांठे नहीं होने से कारत व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा डेडावास का गोलिया के खेत खसरा नम्बर 225, 226/2 रकबा कमशः 2.6952, 1.4569 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/8/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी